तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेंस/एलआर/6455/2005/सवाई माधोपुर</u>** **सरकार बनाम रामनिवास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री गौरव बजाड़, सदस्य** **उपस्थितः–** 1– श्रीमती अर्चना गौतम, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी। 2– अप्रार्थीगण सूचना बावजूद अनुपस्थित। –– **निर्णय** **दिनांक–21.05.2026** यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, करौली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88(2) के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 25–11–2005 के संबंध में अभिशंषा हेतु राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, मलारनाडूंगर द्वारा अति0 जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम अनियाला की आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2009–2012 में अभिलिखित थी तथा उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 16 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/6455/2005/सवाई माधोपुर** **सरकार बनाम रामनिवास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि में से रकबा 1 बीघा का नियमन/आवंटन अनियमित रूप से अप्रार्थीगण के पिता/पति रामबली पक्ष में कर दिया है जो अवैद्य है तथा नियम विरूद्ध आवंटन की पालना में अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण सं0 248 गैर खातेदारी का तथा 388 दिनांक 18-06-1981 खातेदारी का तस्दीक कर दिया गया जो निरस्तनीय है इसके पश्चात् उक्त आराजी की हद तक विरासत का खोला गया नामान्तरकरण सं0 665 दिनांक 08-12-2000 भी निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02-08-2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी की खातेदारी में दर्ज हो गई हो तो उक्त किस्म की भूमि को पुनः राजकीय भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज करने के आदेश पारित किए जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः रेफरेंस मंजूर किया जाकर उक्त भूमि को पुनः राजकीय भूमि गैर मुमकिन तलाई दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें। 3- अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया गया जिसकी आदिनांक तक ए.डी. अप्राप्त समयावधि मानकर तामील मानी जाती है। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजें लगवाई गई लेकिन बावजूद सूचना कोई भी उपस्थित नहीं होने से उप राजकीय अभिभाषक की रेफरेन्स पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी। 4- विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों	

| | को दोहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदियां, नाले, झीलें, तलाई और तालाब आदि राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है, जिसका आवंटन/नियमन किया जाना नियम विरूद्ध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित भूमि होने के कारण खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जाकर उक्त भूमि की किस्म पुनः गै0मु0 तलाई दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें।
5- हमने विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत तर्कों पर गहनता से मनन करते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व परिशीलन किया।
6- पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख ग्राम अनियाला की आराजी खसरा नम्बर 122 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई के रूप में जमाबन्दी सम्वत् 2009-2012 में अभिलिखित थी तथा उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भूत नहीं होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 16 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4(1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि में से रकबा 1 बीघा का नियमन/आवंटन अनियमित रूप से अप्रार्थीगण के पिता/पति रामबली पक्ष में कर दिया है जो अवैद्य है तथा नियम विरूद्ध आवंटन की पालना में अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण सं0 | |

248 गैर खातेदारी का तथा 388 दिनांक 18–06–1981 खातेदारी का तस्दीक कर दिया गया जो निरस्त योग्य है। इसके पश्चात् उक्त आराजी की हद तक विरासत का खोला गया नामान्तरकरण सं0 665 दिनांक 08–12–2000 भी निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02–08–2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी भूमि यदि किसी की खातेदारी में दर्ज हो गई हो तो उक्त किस्म की भूमि को पुनः राजकीय भूमि गै0मु0 तलाई दर्ज करने के निर्देश प्रदान किए गये हैं।

7– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गै0मु0 तलाई'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः–

"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

10– इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.- Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue

in-

(ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

8– प्रश्नगत भूमि पूर्व में गै0मु0 तलाई किस्म की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन में प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.

उपरोक्तानुसार 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी है।

9– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में जो रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा राजस्व मण्डल को प्रस्तुत किया गया है इसमें किसी प्रकार की विधिक भूल नहीं है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में **स्वीकार** किया जाकर ग्राम अनियाला, तहसील मलारनाडूंगर, जिला सवाई माधोपुर में स्थित आराजी खसरा नं0 122 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा भूमि को पुनः राजकीय गै0मु0 तलाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रश्नगत भूमि से अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेंस/एलआर/6455/2005/सवाई माधोपुर** **सरकार बनाम रामनिवास**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करते हुए अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व अभिलेख में अंकित किये गये समस्त इन्द्राज भी निरस्त किए जाते हैं। 10— आदेश की सूचना विद्वान अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**	